नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 05.10.2023 को सुबह 10:30 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रके संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
ii. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
iii. श्री श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा
iv. श्री लव त्रार, आयकर अधिकारी, नोएडा।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और; (v) श्री अनुज दीक्षित, उच्च श्रेणी लिपिक, और अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मुद्दे पर सिलसिलेवार विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए: -

मद संख्या 1 दिनांक 06.09.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 06.09.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 06.09.2023 को आयोजित यूएसी बैठक के मिनटों की पुष्टि की गई ।

मद संख्या 2: नई इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव:-

2.1 मेसर्स एआरएम एंबेडेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

2.1.1 मेसर्स एआरएम एंबेडेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में टावर-2 की 7वीं मंजिल पर 2220.85 वर्ग मीटर (23905 वर्ग फीट) के निर्मित क्षेत्र में सेवा गतिविधियाँ अर्थात् "सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ (सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) डिज़ाइन और विकास सेवाएँ) (सीपीसी-8314)" हेतु एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 56290.00 लाख रुपये का निर्यात और 53139.00 लाख रुपये का संचयी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय प्रस्तावित किया है। 2868.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए और 1780.00 लाख रुपये स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए प्रस्तावित है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 15.09.2023 प्रस्तुत किया है। आवेदक ने अपने एसटीपीआई को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

2.1.2 समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई हैं: -

i. आवेदक कंपनी और दो विदेशी निदेशकों अर्थात् श्री गैरी कैंबेल और सुश्री किर्स्टी जूडिथ गिल का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii. दो विदेशी निदेशकों अर्थात् श्री गैरी कैंबेल और सुश्री किर्स्टी जूडिथ गिल के आवासीय पते का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्री सत्यनारायण सरगुनेसन के पासपोर्ट की पूरी प्रति भी जमा करनी होगी।
iii. प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय के ब्रेकअप में आवेदक ने विदेशी मुद्रा व्यय के तहत विदेश यात्रा (33.60 लाख रुपये) और अभियांत्रिकी परामर्श (249.47 लाख रुपये) का उल्लेख किया है, जिसे 'आयातित इनपुट सेवाओं' के रूप में माना जा सकता है। जबकि, आवेदक ने आयातित इनपुट सेवाओं का प्रस्ताव नहीं दिया है।
iv. फॉर्म-एफ में, वित्त के स्रोत का उल्लेख 'समूह कंपनी से' के रूप में किया गया है, जबकि परियोजना की लागत में, वित्त के साधन का उल्लेख 'शेयर पूंजी और भंडार' के रूप में किया गया है।
v. स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची में, आवेदक ने '09.07.2023 से 08.07.2027 तक सेवाओं का मूल्य' का उल्लेख किया है। इसे स्पष्ट करने की जरूरत है।
vi. एसटीपी इकाई से स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित सामानों की सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।
vii. एसटीपीआई स्वीकृति पत्र की प्रति जमा नहीं की गई है।

2.1.3 मेसर्स एआरएम एंबेडेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री सत्यनारायण सरगुनेसन और सुश्री रूपा गोपालकृष्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि कंपनी यूके में अपनी मूल कंपनी के लिए चिप डिजाइनिंग में लगी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि वे सभी संपत्तियों को एसटीपीआई इकाई से विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं ले जा रहे हैं। केवल महत्वपूर्ण आईटी उपकरण जैसे सर्वर, लैपटॉप आदि के साथ-साथ एसटीपीआई इकाई के कर्मचारियों को प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त पैरा 2.1.2 में बताए अनुसार दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

2.2 मेसर्स एटेलिजेन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

2.2.1 मेसर्स एटेलिगेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकज़ोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित अर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में टॉवर-1 के 12वीं मंजिल पर 357.57 वर्ग मीटर (3850 वर्ग फीट) निर्मित क्षेत्र पर एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य सेवा गतिविधियाँ अर्थात् "सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में डिज़ाइन, विकास और परामर्श (सीपीसी-842)" करना है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 2152.00 लाख रुपये का निर्यात और 2152.00 लाख रुपये का संचयी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय प्रस्तावित किया है। स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 50.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने 50.00 लाख रुपये के स्वदेशी कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों आदि और 40.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए मेसर्स अर्था बिजनेस पार्क एलएलपी, विशेष आर्थिक क्षेत्र सह-विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 01.08.2023 प्रस्तुत किया है।

2.2.2 समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई हैं: -

i. फॉर्म-एफ पर उचित स्थान पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
ii. फॉर्म-एफ के पैरा (XII) (ii) और (iv) के संबंध में उत्तर हां या नहीं में दिया जाना चाहिए।
iii. फॉर्म-एफ में दिया गया श्री अजय कुमार का आवासीय पता उनके आधार कार्ड में उल्लिखित पते से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा, श्री रोहित गुप्ता का पूरा आवासीय पता फॉर्म-एफ में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
iv. तीनों निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियां देनी होंगी।

v. प्रस्तावित सेवा गतिविधियों का सीपीसी कोड सीपीसी संस्करण 2.1 के अनुसार दिया जाना आवश्यक है।
vi. भूमि की आवश्यकता को फॉर्म-एफ के पैरा VIII (1) (i) से हटा दिया जाएगा क्योंकि सह-विकासक ने निर्मित स्थान के आवंटन के लिए स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिया है।
vii. फॉर्म-एफ के पैरा VI(ए)(i) और पैरा (ए) में स्वदेशी संयंत्र और मशीनरी/पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता में भिन्नता पाई गई है।
viii. परियोजना रिपोर्ट की तुलना में फॉर्म-एफ में निवेश और रोजगार के अनुमानों में भिन्नता पाई गई है।
ix. प्रस्तावित स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची दी जानी आवश्यक है।
x. 50 लाख रूपये के प्रस्तावित कच्चे माल की सूची देनी होगी। इसके अलावा, कच्चे माल की आवश्यकता को उचित ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि प्रस्ताव एक सेवा इकाई की स्थापना के लिए है।
xi. आवेदक ने आयातित इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत की है, जबकि फॉर्म-एफ में आयातित इनपुट सेवाओं का कोई अनुमान नहीं दिया गया है। इसे स्पष्ट करने की जरूरत है.
xii. आयकर विभाग से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी।

2.2.3 मेसर्स एटेलिजेन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अंकुर श्रीवास्तव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.2.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन ऊपर पैरा 2.2.2 में बताए अनुसार दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

2.3 मैसर्स यूनिवर्सल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड।

2.3.1 मेसर्स यूनिवर्सल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें "भंडारण, लेबलिंग के साथ या बिना लेबलिंग के व्यापार, बिना किसी प्रसंस्करण के पैकिंग या पुन: पैकिंग, पूरी तरह से नॉक्ड डाउन या सेमी नॉक्ड डाउन किट की संयोजन जिसमे आवेदक द्वारा प्रस्तुत 4 अंकों वाले एचएस कोड के साथ सूची के अनुसार 08 वस्तुओं के लिए, सिवाय इसके कि 'प्रतिबंधित' और निषिद्ध' सामान" प्रस्तावित है। आवेदक ने वस्तु विवरण के साथ आठ 4 अंकों वाले एचएस कोड की एक सूची संलग्न की थी जो कार्यसूची का हिस्सा था। आवेदक का पांच साल की अवधि में 439.13 लाख रुपये का निर्यात और 377.08 लाख रुपये का संचयी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय अनुमानित है। आवेदक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में 464.52 वर्ग मीटर (5000 वर्ग फीट) की जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जो विकासक द्वारा दिनांक 29.08.2023 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया था।

2.3.2 मेसर्स यूनिवर्सल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मोहम्मद शर्फुद्दीन और विशेषाधिकृत लेखापाल एमडी फुजैल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.3.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और पाया कि प्रस्तावित एचएस कोड 0801, 0802, 0804 और 0904 के तहत अधिकांश वस्तुएं आयात के लिए 'प्रतिबंधित' है । तदनुसार, अनुमोदन समिति ने कुछ उत्पादों के व्यापार में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 (एचएस 0801, 0802, 0804 और 0904 के तहत सभी वस्तुओं को छोड़कर, वस्तुओं की प्रस्तावित सूची के अनुसार) और उन वस्तुओं को भी बाहर रखा गया है जो आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' हैं के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को करने के लिए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन है:-

i. ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
iv. विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
v. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक ' अनापत्ति प्रमाण पत्र ' प्राप्त करनी होगी।

मद संख्या 3: अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:-

3.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड, विकासक

3.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 2, 3 और 4, नॉलेज पार्क-IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए मेसर्स विप्रो लिमिटेड, विकासक की सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफ़ॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
i.	इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	3.84
ii.	चाहरदीवारी	09	12.29
iii.	बहुस्तरीय कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित/मैन्युअल)	18	0.79
iv.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	81.96
		कुल	**98.88**

3.1.2 अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक

3.2.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, बुलंदशहर (यूपी) में बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में डिफ़ॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफ़ॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और साइनेज वाली सड़क।	01	3.18
II.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस	04	22.83

राजेश

	वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं।		
III.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	170.42
IV.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	296.40
V.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में समस्त प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	6.65
VI.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	25.02
VII.	भंडारण	26	7.42
		कुल	**531.92**

3.2.2 समिति को सूचित किया गया कि प्रस्ताव में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई हैं: -

i. अधिकार प्राप्त अभियंता प्रमाणपत्र में प्रस्तावित वस्तुओं का कुल मूल्य 531.92 लाख रुपये के बजाय 531.93 लाख रुपये बताया गया है.

ii. विकासक के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही चल रही है।

iii. विकासक लंबे समय से लागत वसूली शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा है और विकासक को जारी वर्तमान मांग पत्र के अनुसार कुल बकाया राशि 66,89,880/- रुपये है।

3.2.3 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रोशन लाल और वरिष्ठ प्रबंधक श्री करण काचरू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। दिवाला कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विकासक के प्रतिनिधि ने बताया कि अंतिम परिणाम जल्द ही आने की उम्मीद है। बकाया लागत प्राप्ति शुल्क के भुगतान के संबंध में, प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने आईआरपी से भुगतान जारी करने का अनुरोध किया है और इस महीने के भीतर वे संपूर्ण बकाया सीआरसी का भुगतान कर देंगे।

3.2.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने इस मामले में कानूनी राय लेने का निर्णय लिया कि क्या कंपनी के दिवालिया कार्यवाही के तहत होने के कारण विकासक को सामग्री की प्रस्तावित सूची की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। समिति ने विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को कानूनी राय प्राप्त होने के बाद फाइल पर मामले में आगे निर्णय लेने का अधिकार दिया।

3.3 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

3.3.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3 ए, 3 बी और 2 सी, सेक्टर- 126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस के विकासक ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट अधिकृत संचालन को चलाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफ़ॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	बिजली (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) केवल कैप्टिव उपयोग के लिए।	23	170.00
II.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	19.00

राजेश्वरी

			कुल	189.00

3.3.2 समिति ने पाया कि 'प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन' के तहत विकासक ने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से '2000 किलोग्राम आर134ए एचएफसी रेफ्रिजरेंट गैसों' की शुल्क मुक्त खरीद का प्रस्ताव दिया है, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किये गए अधिसूचना संख्या 62/2015-2020 दिनांक 23.03.2022 के अनुसार निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 27(1) के प्रावधान के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक या इकाई को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा 'प्रतिबंधित' वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमोदन बोर्ड की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

3.3.3 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संबंधित निदेशक श्री डी.के. शर्मा और एसोसिएट डायरेक्टर श्री विनोद कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.3.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद 'केवल कैप्टिव उपयोग के लिए पावर (पावर बैकअप सुविधाओं सहित)' के तहत प्रस्तावित 170.00 लाख रुपये की सामग्री की सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित वस्तु' होने और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से खरीदे जाने का प्रस्ताव होने के कारण, समिति ने '2000 किलोग्राम आर134ए एचएफसी रेफ्रिजरेंट गैसों' की शुल्क मुक्त खरीद के प्रस्ताव को, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुसार, बीओए को विचार के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया।

मद क्रमांक 4: इकाई के क्षेत्र विस्तार/आंशिक विलोपन हेतु प्रस्ताव:-

4.1 मेसर्स क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई में '43756 वर्ग फुट क्षेत्र जिसमें 12वीं मंजिल पर 23585 वर्ग फुट, बिल्डिंग नंबर 5 और 13वीं मंजिल पर 20171 वर्ग फुट, बिल्डिंग नंबर 5' को शामिल करके क्षेत्र के विस्तार एवं अनुमानों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

(रुपये लाख में)

विवरण	मौजूदा अनुमोदित अनुमान	प्रस्तावित संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मूल्य	164076.97	167057.97
विदेशी मुद्रा निकासी	21711.51	23240.51
एनएफई आय	142365.46	143817.46
आयातित पूंजीगत सामान	9231.51	10237.51
स्वदेशी पूंजीगत सामान	4453.00	6076.00
आयातित इनपुट सेवाएँ	0.00	5172.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	25272.10	26200.00

4.1.2 श्री गणेश एस, निदेशक-लॉजिस्टिक्स और श्री रोहित सिंह, मेसर्स क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

4.2 मेसर्स हनु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

4.2.1 मेसर्स हनु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा (उतर प्रदेश) में स्थित अपनी इकाई के प्लॉट नंबर पीडी-03 पर '2000 वर्ग मीटर क्षेत्र' यानी क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई ने उक्त क्षेत्र के समर्पण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक द्वारा जारी दिनांक 27.07.2023 की 'अनापत्ति प्रमाण पत्र ' की प्रति प्रस्तुत की है। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने उक्त भूखंड के संबंध में पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

4.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समिति ने इकाई द्वारा उक्त भूखंड के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत न करने को भी माफ कर दिया, यह ध्यान में रखते हुए कि नई इकाई उक्त भूखंड के विरुद्ध आ सकती है और अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न कर सकती है।

मद संख्या 5: पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव:

5.1 मैसर्स आर1 आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड

5.1.1 मेसर्स आर1 आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यू.पी.) में स्थित अपनी इकाई के निर्यात/निवल विदेशी मुद्रा अनुमानों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	स्वीकृत अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मूल्य	111210.42	121010.49
विदेशी मुद्रा निकासी	2479.11	5040.70
एनएफई आय	108731.31	115970.09
आयातित पूंजीगत सामान	1132.95	1132.95
स्वदेशी पूंजीगत सामान	**656.51**	**2736.53**
आयातित इनपुट सेवाएँ	0.00	0.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	31252.00	31252.00

5.1.2 समिति को सूचित किया गया कि प्रस्ताव में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई हैं: -

i. प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय के ब्रेकअप में, इकाई ने 5 वर्षों के लिए मशीनरी (पूंजीगत सामान) के आयात के वर्षवार मूल्य का उल्लेख किया है, जिसमें पहले और दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 7172.14 लाख रुपये और 4034.49 लाख रुपये दिए गए हैं। जबकि 5 साल के लिए कुल 2155.36 लाख रुपये बताए गए हैं। इसे सुधारने/संशोधित की जरूरत है।

ii. प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय के ब्यौरे में इकाई ने 'किसी अन्य भुगतान' के तहत 2885.35 लाख रुपये का भी उल्लेख किया है जिसमें सदस्यता शुल्क, विदेश यात्रा आदि शामिल है, जिसे 'आयातित इनपुट सेवाओं' के रूप में माना जा सकता है। जबकि, इकाई ने आयातित इनपुट सेवाओं की मंजूरी नहीं ली है।

5.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन ऊपर पैरा 5.1.2 में बताए गए दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 6: स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त मदों को शामिल करने के प्रस्ताव:

6.1 मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग और फ़ॉरवर्डिंग एजेंट

6.1.1 अनुमोदन समिति ने 07.07.2023 को हुई अपनी बैठक में मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग और फ़ॉरवर्डिंग एजेंट के अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांव-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा जिला-बुलंदशहर (यूपी), में स्थापित इकाई के अनुमोदन पत्र दिनांक 28.12.2018 में एचएस कोड 8807 (शीर्ष 8801, 8802 या 8806 के माल के हिस्से) को शामिल करने के लिए के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था। समिति ने इकाई को इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि इन वस्तुओं का उपयोग सैन्य विमानों के लिए नहीं किया जाएगा।

6.1.2 इस संबंध में, इकाई ने अपने लेटरहेड पर अपने ग्राहक अर्थात् मेसर्स एमएके एयरोस्पेस एंड एविएशन सर्विसेज की एक घोषणा प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि वे नागरिक विमानों के लिए आवश्यक विभिन्न स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियों का आयात कर रहे हैं। यह स्पेयर पार्ट्स/उपभोज्य वस्तुएं उनकी उपलब्धता के आधार पर विभिन्न देशों से आयात की जाती हैं और आयात होने के बाद, वे खेप को धारा-59 के तहत कस्टम बोंडेड वेयरहाउस में ले जाएंगे। इसके बाद, कुछ निश्चित मूल्यवर्धन करने के बाद, वे इसे मैसर्स पोबेडा एयरलाइंस, रूस को निर्यात करेंगे, जो एक अल्ट्रा-लो-कॉस्ट एयरलाइंस है और रूस में ध्वज वाहक और सबसे बड़ी एयरलाइंस एअरोफ़्लोत की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है। यह मुख्य रूप से अपने एयरलाइंस केंद्र वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए निर्धारित सेवाएं संचालित करता है। इसका मुख्य कार्यालय मास्को में है। मेसर्स एमएके एयरोस्पेस एंड एविएशन सर्विसेज ने आगे पुष्टि की है और घोषणा की है कि वे सैन्य विमानों में इस्तेमाल होने वाले किसी भी लेख / भागों / उपभोज्य या किसी भी सामग्री की आपूर्ति में शामिल नहीं हैं।

6.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्वीकृति पत्र में एचएस कोड 8807 को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी इस शर्त पर है कि इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि इन वस्तुओं का उपयोग केवल नागरिक विमानों में ही किया जाएगा।

मद संख्या 7: शेयरधारिता स्वरूप/निदेशकों में बदलाव की सूचना।

7.1 मैसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I, II और III) ।

7.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) स्थित सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित तीन इकाइयों के संबंध कंपनी के निदेशकों में निम्नलिखित बदलावों पर, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार संज्ञान लिया, जोकि उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी : -

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. मोहम्मद हारून क़ुरैशी **2. श्री अतुल धवन** 3. सुश्री उर्वशी सिंह	1. मोहम्मद हारून क़ुरैशी 2. सुश्री उर्वशी सिंह **3. श्री संदीप शर्मा (12.04.2021)** **4. सुश्री नीलू सिंघल (24.09.2020)**

राजेश्वरी

7.1.2 यह निम्नलिखित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है: -

i. श्री संदीप शर्मा के पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रति।
ii. एमसीए की वेबसाइट से पता चला है कि श्री मोहित ठुकराल वर्तमान में निदेशक के रूप में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। वहीं, इकाई ने उनकी नियुक्ति के लिए फॉर्म-डीआईआर 12 की कॉपी जमा कर दी है. इसलिए, स्पष्टीकरण आवश्यक है.
iii. कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित।

<u>7.2 मैसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड।</u>

7.2.1 मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासकर्ता ने प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित अपनी आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थापना के बाद से कंपनी की शेयरधारिता और निदेशकों में बदलाव का विवरण दिखाते हुए एक सूचना प्रस्तुत की है। विकासक ने सूचित किया है कि अपने पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा करते समय उन्हें इकाई के निदेशकों के परिवर्तन और शेयरधारिता स्वरूप के संबंध में इस कार्यालय के साथ कोई संचार आदान-प्रदान नहीं हुआ। विकासक ने इस भूल के लिए खेद व्यक्त किया है और कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों में बदलाव की सूचना में देरी को माफ करने का अनुरोध किया है। विकासक ने आश्वासन दिया है कि वे ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचेंगे और भविष्य में निदेशकों और शेयरधारकों में किसी भी बदलाव के लिए समय पर सूचित करेंगे। स्थापना के बाद से कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	अवधि	शेयरधारकों	शेयरधारिता	
			%आयु हिस्सेदारी	शेयरों की संख्या
1	प्रारंभ से 18.10.2007 तक	**नुजिविदु सीड्स लिमिटेड (एनएसएल)**, नई दिल्ली	95%	9500
		सेंचुरी एवेन्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद।	4.9%	490
		श्री सीएच. नागेश्वर राव	01%	10
2	से: 19.10.2007 से: 07.09.2010 तक	**नुजिविदु सीड्स लिमिटेड (एनएसएल)**, नई दिल्ली	95%	9500
		सेंचुरी एवेन्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद।	5%	500
3	से: 08.09.2010 से: 24.02.2013 तक	**मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएचपीएल)**, हैदराबाद	95%	9500
		सेंचुरी एवेन्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	5%	500
4	से: 25.02.2013 से: 27.02.2023 तक	**मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएचपीएल)**, हैदराबाद	95%	95000
		सेंचुरी एवेन्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	5%	5000
5	**से: 28.02.2023 से: विद्यमान**	**मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएचपीएल)**, हैदराबाद	**99%**	**495000**
		सेंचुरी एवेन्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	**1%**	**5000**

राजेश्वरी

7.2.2 स्थापना के बाद से कंपनी के निदेशकों में हुए बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	त्यागपत्र की तिथि
1	00190736	श्री हरे राम पेंदुरथी	प्रथम निदेशक	01/10/2008
2	00040818	श्री साई सुब्बा राव सावरम	प्रथम निदेशक	30/12/2010
3	00009650	श्री मांडव प्रभाकर राव	01/10/2008	04/08/2017
4	03157631	श्री नेल्लुरी बापूजी	20/12/2010	01/11/2011
5	01519645	श्री श्रवण कुमार गॉन	01/11/2011	15/07/2015
6	03157631	श्री नेल्लुरी बापूजी	15/07/2015	22/04/2022
7	05310705	श्री सतीश बाबू नुतक्की	04/08/2017	01/02/2019
8	**00227591**	**श्री आला वीरा वेंकट शिव प्रसाद**	**01/02/2019**	**मौजूदा**
9	**00848537**	**श्री नारायण राव गाडुपुडी**	**22/04/2022**	**मौजूदा**

7.2.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में, नियम और शर्तों के अनुपालन के अधीन, विकासक के शेयरधारिता स्वरूप और निदेशकों में उपरोक्त परिवर्तनों का संज्ञान लिया। समिति ने विकासकर्ता के शेयरधारिता स्वरूप और निदेशकों में उपरोक्त परिवर्तनों को प्रस्तुत करने में हुई देरी को भी माफ कर दिया।

<u>मद संख्या 8: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन के लिए प्रस्ताव:</u>

<u>8.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को आवंटन) ।</u>

8.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में बिल्डिंग नंबर बी 1 के बेसमेंट -1 में 120 वर्ग फुट सुपर निर्मित स्थान के आवंटन के लिए मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को पट्टे के आधार पर देने की विकासक, मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी (एफटीटीएच) प्रदान करना है। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

<u>8.2 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पवन एंटरप्राइजेज को आवंटन) ।</u>

8.2.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) स्थित आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में बिल्डिंग नंबर बी 1के ग्राउंड फ्लोर के दुकान / काउंटर नंबर 6 में 200 वर्ग फीट सुपर निर्मित स्थान मेसर्स पवन एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के लिए मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक के प्रस्ताव को, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य और वहां स्थित इकाइयों के

राजेश

कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए एक 'जूस/शेक' स्टॉल स्थापित करना और संचालित करना है। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए मेसर्स पवन एंटरप्राइजेज को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स पवन एंटरप्राइजेज को विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

मद संख्या 9: इकाई की स्वीकृति पत्र की शर्तों में संशोधन के लिए अनुरोध:-

9.1 मेसर्स शेंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

9.1.1 मेसर्स शेंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग जोन गांव-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा जिला-बुलंदशहर (यूपी) में इकाई स्थापित करने के लिए उन्हें दिए गए अनुमोदन पत्र संख्या 10/24/2023-एसईजेड/7281 दिनांक 19.09.2023 की शर्त संख्या (viii) पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रस्ताव में 'भंडारण, लेबलिंग के साथ या उसके बिना व्यापार, बिना किसी प्रसंस्करण के पैकिंग या पुनः पैकिंग, आवेदक द्वारा प्रस्तुत 17 एचएस कोड की सूची के अनुसार सिवाय इसके कि और 'प्रतिबंधित' और निषिद्ध' वस्तुओं के लिए पूरी तरह से नॉक्ड डाउन या सेमी नॉक्ड डाउन किट की असेंबली शामिल थी। अनुमोदन पत्र की शर्त संख्या (viii) में कहा गया है कि "(viii) इन वस्तुओं की कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल भौतिक निर्यात की अनुमति होगी जिसका अर्थ है कि उत्पादों को भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निर्यात करने की आवश्यकता होगी। इसमें निर्यात मान और यहां तक कि एसईज़ेड से विशेष आर्थिक क्षेत्र लेनदेन दोनों शामिल नहीं होंगे।"

9.1.2 मेसर्स शेंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आईएन-सीएल बीडी/एससीएम प्रमुख श्री श्रीकांत मोरो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और अनुरोध के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे एफटीडब्ल्यूजेड परिसर में कई ग्राहकों के लिए गोदाम से निर्यात और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री दोनों करेंगे और शुरुआत के लिए वे 'बोइंग' के संचालन का प्रबंधन करेंगे जिसमें प्रमुख रूप से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री प्रक्रिया भी शामिल होगी। उनका ग्राहक सीमा शुल्क के भुगतान के बाद घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में शामिल हो जाएगा और अधिकांश लेनदेन घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र वातावरण के तहत होंगे।

9.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और इकाई की चर्चाओं और प्रस्तुतियों के आलोक में, समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद स्वीकृति पत्र संख्या 10/24/2023-विशेष आर्थिक क्षेत्र /7281 दिनांक 19.09.2023 इकाई की शर्त संख्या (viii) को हटाने का निर्णय लिया। स्वीकृति पत्र संख्या 10/24/2023-विशेष आर्थिक क्षेत्र /7281 दिनांक 19.09.2023 के शेष सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

राजेश (signature)

(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त

सुरेंद्र मलिक (signature)

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त